



सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX  
हैदराबाद । आयुक्तालय HYDERABAD-I COMMISSIONERATE

केंद्रीय शुल्क भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004  
KENDRIYA SHULK BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

फा.स. C.No.II/03/10/2017-Estt-स्थापना.

दिनांक Date: 06-04-2017

सेवा में To  
प्रधान आयुक्त/ आयुक्त The Principal Commissioner/ Commissioner,  
सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर Customs, Central Excise & Service Tax,  
हैदराबाद-II/III/IV/लेखापरीक्षा/सेवकर Hyderabad-II/III/IV/Audit/Service Tax/  
अपील्स/वैजाग/काकीनाडा/गुंटूर/तिरुपति Customs/Appeals/Visakhapatnam/Kakinada/  
विजयवाड़ा सीमाशुल्क (पी)/ लेखापरीक्षा, Vijayawada Customs(P)/Audit,Visakhapatnam  
वैजाग/नेल्लूरु/काकिनाडा आयुक्तालय /Guntur/Nellore/Tirupati Commissionerate,  
हैदराबाद/ वैजाग/गुंटूर/तिरुपति HYDERABAD/VISAKHAPATNAM/GUNTUR  
/TIRUPATI

महोदय/महोदया Sir/Madam,

विषय : स्था. सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के निरीक्षक के संवर्ग में पदस्थापना एवं स्थानांतरण - सामान्य वार्षिक अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण -2017 - अभ्यावेदन माँगना - संबंधित।

Sub:- Estt - Posting and Transfers in the cadre of Inspector of Customs Central Excise & Service Tax - Annual General Inter Zonal Transfers 2017 - Calling for representations - Regarding.

\* \* \* \*

सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद व विशाखापटनम क्षेत्र के निरीक्षक के संवर्ग में वर्ष 2017 के लिए सामान्य वार्षिक अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया स्थानांतरण नीति 2015 के अनुसार की जानी है।

The exercise for Annual General Inter - Zonal transfers for the year 2017 in the common cadre of Inspector of Customs, Central Excise and Service Tax of Hyderabad and Visakhapatnam Zones is to be conducted as per the Transfer Policy 2015.

2. इस संबंध में सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद क्षेत्र /विशाखपट्टणम क्षेत्र में कार्यरत इच्छुक निरीक्षक अपने अभ्यावेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अपने अपने आयुक्तालयों में दिनांक 17-04-2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

Inspectors of Customs Central Excise and Service tax, Hyderabad Zone/ Visakhapatnam Zone wishing to make a representation in the matter may do so by 17-04-2017 in the prescribed proforma attached herewith to their respective Commissionerates.

3. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत निरीक्षकों में इसे परिचालित करें और दिए गए विवरण की उचित जांच व प्रमाणीकरण के बाद एक ही बंच में प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद-1 आयुक्तालय, हैदराबाद को दिनांक 21-04-2017 तक भेज दे। उचित माध्यम के अलावा अधिकारियों से प्राप्त अग्रिम प्रतियों या अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Any representation received shall be forwarded in one bunch to the Principal Commissioner Customs, Central Excise & Service Tax Hyd- I Commissionerate, Hyderabad after due verification and Certification of the particulars furnished therein latest **by 21-04-2017**. Advance copies or representations submitted other than through proper channel by the officers will not be entertained.

4. प्रस्तावित वार्षिक साधारण स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है:

The proposed AGT shall be governed by the following conditions:

i) एजीटी, 2017 के लिए अंतिम दिनांक 30-06-2017 है।

The cutoff date for AGT, 2017 is 30-06-2017.

ii) जिन अधिकारियों का स्थानांतरण वैजाग क्षेत्र में होना बाकी है केवल वैजाग क्षेत्र ही आबंटित होगा और कोई खास आयुक्तालय नहीं। वैजाग क्षेत्र में विनिर्दिष्ट पदस्थापना उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

Officers who are due for transfer to Visakhapatnam Zone will be allotted to Visakhapatnam Zone only and not to any particular Commissionerate. Specific postings within Visakhapatnam Zone will be issued by the competent authority of that Zone.

iii) ऐसे निरीक्षक, जो बिना उचित अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित हैं, उनके हैदराबाद क्षेत्र में स्थानांतरण के विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अधिकारी के अनधिकृत अवकाश का विवरण पृथक रूप से नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अग्रपेक्षित किया जाना है।

Inspectors who are absent without proper sanction of leave will not be considered for transfer to Hyderabad Zone. Details of unauthorized absence of any such officer may be forwarded separately by the controlling authority.

iv) स्थानांतरण के संबंध में वार्षिक साधारण स्थानांतरण, 2016 के बाद बिना निपटारा कोई अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को भी माना जाएगा और उन्हें से दोबारा आवेदन प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

Undisposed representation, if any, received after AGT, 2016 in the matter of transfer shall be dealt with as per the extant policy and fresh representation need not be made.

v) अति अनुकंपा आधार के मामले अद्यतन चिकित्सीय रिपोर्टें या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकार क्षेत्र के आयुक्त के सिफारिश सहित ही भेजे।

Cases of extreme compassionate grounds must be sent along with latest medical reports or any other relevant supporting documents and along with specific recommendations of the jurisdictional Commissioner.

vi) सी सी एस (सी) नियमावली, 1964 के नियम 20 और फा. सं. C.50/54/2014-Ad.II दिनांक 20-06-2014 से जारी बोर्ड के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सभी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि किसी भी उच्च अधिकारी को, अपनी सेवा से संबन्धित मामलों में, स्थानांतरण व तैनाती के मामलों सहित, किसी भी राजनैतिक और बाहरी रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

All the officers may be informed that as per Rule 20 of CCS (C), Rules 1964 and the Board's office memorandum vide F.No.C.50/54/2014-Ad.II dated 20-06-2014, bringing or attempting to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service, including in respect of the matters related to transfer & posting would amount to misconduct.

vii) निर्धारित तारीख के बाद उचित माध्यम से प्राप्त आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**Applications, even if forwarded/received through proper channel, after due date will not be entertained.**

यह प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद-1 आयुक्तालय की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Principal Commissioner of Customs, Central Excise & Service Tax, Hyderabad-I Commissionerate.

भवदीय Yours faithfully

संलग्न Encl: यथोपरि As above

(सुधा कोका SUDHA KOKA)

अपर आयुक्त (का व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

प्रतिलिपि Copy submitted to :

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/वैजग क्षेत्र को सूचनार्थ।  
The Chief Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax, Hyderabad/Visakhapatnam Zone for information.

प्रति Copy to :

1. अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, मुख्य आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद क्षेत्र। मुख्य आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित।  
The Additional Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax, Chief Commissioner's Office, Hyderabad Zone with a request to circulate among officers of Chief Commissioners office.
2. उप/सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद-1 आयुक्तालय।  
All the Deputy / Asst. Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax of Hyderabad-I Commissionerate.
3. हैदराबाद-1 आयुक्तालय के सभी अनुभाग प्रमुख (मुख्य आयुक्त कार्यालय सहित) संबन्धित अपर / संयुक्त आयुक्त के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश सहित।  
All Section Heads of Hyderabad-I Commissionerate (including CCO) - With a direction to submit the applications through the Additional/Joint Commissioner concerned.
4. महासचिव, वर्ग 'ख', (राजपत्रित)(कार्यकारी) अधिकारी संगठन, हैदराबाद/गुंटूर/वैजग/तिरुपति।  
The General Secretary, Group 'B' (Gazetted)(Executive) Officers Association, Hyderabad/Guntur/Visakhapatnam/Tirupati
5. महासचिव, अ जा / अ ज जा संगठन, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/गुंटूर/वैजग/तिरुपति।  
The General Secretary, SC/ST Association, Customs & Central Excise, Hyderabad/ Guntur/Visakhapatnam/Tirupati
6. महासचिव, अ ज जा संगठन, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद।  
The General Secretary, ST Association, Customs & Central Excise, Hyderabad.

**सामान्य वार्षिक स्थानांतरण 2017 के लिए प्रोफॉर्मा**  
**PROFORMA FOR ANNUAL GENERAL TRANSFER 2017**

1. अधिकारी का नाम Name of the officer :
2. जन्मतिथि Date of Birth:
3. गृहनगर Home Town:
4. शैक्षिक योग्यता Educational Qualification:
5. वर्ग Category :
6. जिस तिथि से वे कार्यरत हैं  
Date from which he/she is working:  
i) क्षेत्र Zone :  
ii) आयुक्तालय Commissionerate:
7. वर्तमान कार्यस्थल Present place of working:
8. किस क्षेत्र के लिए स्थानांतरण चाहिए:  
Zone for which Transfer is requested
9. अधीक्षक के संवर्ग में हैदराबाद/ वेंजग क्षेत्र व अन्य में अंतिम 3 वर्ष पदस्थापना का विवरण  
History of postings in Hyderabad /Visakhapatnam Zone and Others (in the cadre of Inspectors in last 3 years)

क्र. Sl.No.	आयुक्तालय Commissioner rate	स्थान Station	फोरमेशन Formation	टेबल/फील्ड Sensitive/ Non Sensitive	पद Post Held	दिनांक Date	
						कब से From	कब तक To

10. अवकाश विवरण (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर)  
Leave particulars (except Casual Leave)
11. अनधिकृत अवकाश, यदि कोई हो तो  
Unauthorized Leave, if any
12. क्या वेंजग क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूरा किया है  
Whether completed prescribed tenure  
In Visakhapatnam Zone
13. क्या स्थानांतरण नीति, 2015 के पैरा 4(i)  
के तहत स्थानांतरण चाहते हैं?  
Seeking transfer under para 4(i)  
of the Transfer Policy, 2015

हाँ/नहीं

Yes/No

हाँ/नहीं

Yes/No

14. तैनात के कारण (कृपया बताएं)  
Reasons for transfer (please specify),

दिनांक Date:

स्थान Station :

अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Officer

15. उपरोक्त विवरण संबन्धित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका से जाँच की गई और सही पाया गया। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान उनसे ली गई छुट्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से स्वीकृत की गई हैं और कोई भी अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं है।

The particulars furnished above are verified with Service Book of the individual and found to be correct. It is also certified that the leave availed by the officer during his/her stay at this Zone is duly sanctioned by competent authority and there is no unauthorized absence.

[नोट: अनधिकृत अवकाश का विवरण, यदि कोई हो तो, पृथक रूप से दिया जाए]

[Note: Details of unauthorized absence, if any, shall be furnished separately]

दिनांक Date :

स्थान Station:

सहायक आयुक्त/ सहायक मुख्य

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of the Asst. Commissioner /  
Assistant Chief Accounts Officer

अग्रेषित करने वाले अधिकारी की टिप्पणी और सिफारिशें।

Forwarding officer's comments and recommendations.

दिनांक Date :

स्थान Station:

अग्रेषित करने वाले अधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर  
Signature of the forwarding officer with Seal.